**वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015**

[दिनांक 31 दिसंबर, 2015]

**दिनांक 3.5.2018 तक संशोधित\***

**विधि एवं न्याय मंत्रालय**

**(विधान विभाग)**

*विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के न्यायनिर्णयन के लिए उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय\*,* वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के गठन का उपबंध करने के लिए अधिनियम।  भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

**अध्याय 1**

**प्रारंभिक**

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.- (ठ) इस अधिनियम को *वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015***  कहा जाएगा  *।*

(2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह 23 अक्टूबर, 2015 को लागू हुआ माना जाएगा।

**2. परिभाषाएं.-**  (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

'(क) "वाणिज्यिक अपील न्यायालय" से धारा 3ए के तहत नामित वाणिज्यिक अपील न्यायालय अभिप्रेत है;

(एए) "वाणिज्यिक अपील प्रभाग" से धारा 5 की उपधारा (1) के तहत गठित उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक अपील प्रभाग अभिप्रेत है;

(ख) “वाणिज्यिक न्यायालय” से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित वाणिज्यिक न्यायालय अभिप्रेत है;

(ग) "वाणिज्यिक विवाद" से तात्पर्य निम्नलिखित से उत्पन्न विवाद से है-

(i) व्यापारियों, बैंकरों, वित्तपोषकों और व्यापारियों के साधारण लेन-देन, जैसे व्यापारिक दस्तावेजों से संबंधित लेन-देन, जिनमें ऐसे दस्तावेजों का प्रवर्तन और व्याख्या भी शामिल है;

(ii) माल या सेवाओं का निर्यात या आयात;

(iii) नौवाहनविभाग और समुद्री कानून से संबंधित मुद्दे;

(iv) विमान, विमान इंजन, विमान उपकरण और हेलीकॉप्टर से संबंधित लेन-देन, जिसमें उनकी बिक्री, पट्टे और वित्तपोषण शामिल है;

(v) माल की ढुलाई;

(vi) निविदाओं सहित निर्माण और बुनियादी ढांचे के अनुबंध;

(vii) विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्य में उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से संबंधित समझौते;

(viii) फ्रेंचाइज़िंग समझौते;

(ix) वितरण और लाइसेंसिंग समझौते;

(x) प्रबंधन और परामर्श समझौते;

(xi) संयुक्त उद्यम समझौते;

(xii) शेयरधारकों के समझौते;

(xiii) आउटसोर्सिंग सेवाओं और वित्तीय सेवाओं सहित सेवा उद्योग से संबंधित सदस्यता और निवेश समझौते;

(xiv) व्यापारिक एजेंसी और व्यापारिक उपयोग;

(xv) साझेदारी समझौते;

(xvi) प्रौद्योगिकी विकास समझौते;

(xvii) पंजीकृत और अपंजीकृत ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, डोमेन नाम, भौगोलिक संकेत और अर्धचालक एकीकृत सर्किट से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार;

(xviii) माल की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान के लिए समझौते;

(xix) तेल और गैस भंडारों या विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन;

(xx) बीमा और पुनर्बीमा;

(xxi) उपर्युक्त में से किसी से संबंधित एजेंसी अनुबंध; और

(xxii) ऐसे अन्य वाणिज्यिक विवाद जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाएं।

*स्पष्टीकरण.-*  कोई वाणिज्यिक विवाद केवल इसलिए वाणिज्यिक विवाद नहीं रह जाएगा क्योंकि-

(क) इसमें अचल संपत्ति की वसूली या सुरक्षा के रूप में दी गई अचल संपत्ति से धन की वसूली के लिए कार्रवाई भी शामिल है या इसमें अचल संपत्ति से संबंधित कोई अन्य राहत शामिल है;

(ख) संविदा करने वाले पक्षों में से एक राज्य या उसकी कोई एजेंसी या संस्था या सार्वजनिक कार्य करने वाला कोई निजी निकाय है;

(घ) "वाणिज्यिक प्रभाग" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक प्रभाग अभिप्रेत है;

(ई) "जिला न्यायाधीश" का वही अर्थ होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 236 के खंड (ए) में दिया गया है;

(च) "दस्तावेज" से किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या इनमें से एक से अधिक माध्यमों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित कोई मामला अभिप्रेत है, जिसका उपयोग उस मामले को रिकॉर्ड करने के प्रयोजन के लिए किया जाना है या किया जा सकता है;

(छ) "अधिसूचना" से सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करें" पद का उसके सजातीय अर्थों और व्याकरणिक रूपान्तरणों के साथ तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ज) “अनुसूची” से अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; और

(i) किसी वाणिज्यिक विवाद के संबंध में, "निर्दिष्ट मूल्य" का अर्थ धारा 12 के अनुसार निर्धारित किसी वाद के संबंध में विषय-वस्तु का मूल्य होगा जो  *तीन लाख\**   रुपए से कम नहीं होगा या ऐसा उच्चतर मूल्य होगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किये गये किन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस संहिता और अधिनियम में हैं।

**अध्याय 2**

**' *'वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग''\****

**3. वाणिज्यिक न्यायालयों का**  गठन.-

(1) राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात, अधिसूचना द्वारा, जिला स्तर पर उतनी संख्या में वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन कर सकेगी, जितनी वह इस अधिनियम के अधीन उन न्यायालयों को प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे:

*“बशर्ते कि सामान्य आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों के संबंध में, राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन कर सकेगी:*

*आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जिस पर उच्च न्यायालयों को मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता प्राप्त है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा धनीय मूल्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो तीन लाख रुपए से कम नहीं होगा और जिला न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली धनीय अधिकारिता से अधिक नहीं होगा, जैसा वह आवश्यक समझे।'';* \*

*“(1A) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, अधिसूचना द्वारा, पूरे राज्य या उसके भाग के लिए ऐसा धनीय मूल्य, जो तीन लाख रुपए से कम नहीं होगा या ऐसा उच्चतर मूल्य, जिसे वह आवश्यक समझे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।”;\**

(2) राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, अधिसूचना द्वारा, उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं विनिर्दिष्ट करेगी, जिस तक वाणिज्यिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार विस्तारित होगा और समय-समय पर ऐसी सीमाओं को बढ़ा, घटा या परिवर्तित कर सकेगी।

(3)  *राज्य सरकार* , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, वाणिज्यिक विवादों से निपटने में अनुभव रखने वाले एक या एक से अधिक व्यक्तियों को जिला *न्यायाधीश के स्तर के वाणिज्यिक न्यायालय या जिला न्यायाधीश से नीचे के स्तर के न्यायालय का* न्यायाधीश या न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी ।

“ ***3ए. वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालयों का पदनाम.-***

*उन क्षेत्रों को छोड़कर जिन पर उच्च न्यायालयों को साधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता प्राप्त है, राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् अधिसूचना द्वारा, जिला न्यायाधीश स्तर पर उतनी संख्या में वाणिज्यिक अपील न्यायालयों को नामित कर सकेगी जितनी वह इस अधिनियम के अधीन उन न्यायालयों को प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे।*

**4. उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभाग का**  गठन।-

(1) सभी उच्च न्यायालयों में, जिनके पास मामूली  *आरंभिक\** सिविल अधिकारिता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए एकल न्यायाधीश वाली एक या अधिक पीठों वाला वाणिज्यिक प्रभाग गठित कर सकेगा।

(2) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को वाणिज्यिक प्रभाग का न्यायाधीश नामित करेगा, जिन्हें वाणिज्यिक विवादों से निपटने का अनुभव हो।

**5. वाणिज्यिक अपील प्रभाग का गठन।**  –

(1) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी करने के पश्चात्, संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, आदेश द्वारा, अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ एक या अधिक खंडपीठों वाले वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग का गठन करेगा।

(2) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के न्यायाधीश के रूप में नामित करेगा, जिन्हें वाणिज्यिक विवादों से निपटने का अनुभव हो।

**6. उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभागों का क्षेत्राधिकार।**  वाणिज्यिक न्यायालय को उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित सभी वादों और आवेदनों पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार होगा, जिस पर उसे क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है।

*स्पष्टीकरण.-*  इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी वाणिज्यिक विवाद को उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्राधिकार से उत्पन्न माना जाएगा, जिस पर वाणिज्यिक न्यायालय को अधिकारिता प्रदान की गई है, यदि ऐसे वाणिज्यिक विवाद से संबंधित वाद या आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 16 से 20 के उपबंधों के अनुसार संस्थित किया गया है।

**7. उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभागों का क्षेत्राधिकार।**  – सामान्य आरंभिक सिविल क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में दायर किए गए निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों से संबंधित सभी वादों और आवेदनों की सुनवाई और निपटारा उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा: बशर्ते कि वाणिज्यिक विवादों से संबंधित सभी वादों और आवेदनों की, जो किसी अधिनियम द्वारा जिला न्यायालय से अवर न होने वाले न्यायालय में रखे जाने के लिए निर्धारित हैं, और जो उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में दायर या लंबित हैं, की सुनवाई और निपटारा उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा:

आगे यह भी प्रावधान है कि डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 22 की उपधारा (4) या पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 104 के आधार पर उच्च न्यायालय को हस्तांतरित सभी वादों और आवेदनों की सुनवाई और निपटान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा उन सभी क्षेत्रों में किया जाएगा, जिन पर उच्च न्यायालय मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करता है।

**8. मध्यवर्ती आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन या याचिका पर प्रतिबंध**  ।-- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वाणिज्यिक न्यायालय के किसी मध्यवर्ती आदेश के विरुद्ध, जिसके अंतर्गत अधिकारिता के मुद्दे पर आदेश भी है, कोई सिविल पुनरीक्षण आवेदन या याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी और धारा 13 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसी कोई चुनौती केवल वाणिज्यिक न्यायालय की डिक्री के विरुद्ध अपील में ही उठाई जाएगी।

**9.***यदि वाणिज्यिक विवाद में प्रतिदावा निर्दिष्ट मूल्य का है तो मुकदमे का स्थानांतरण छोड़ दिया गया।*

**10. मध्यस्थता मामलों के संबंध में क्षेत्राधिकार.-**  जहां मध्यस्थता का विषय-वस्तु निर्दिष्ट मूल्य का वाणिज्यिक विवाद है और-

(1) यदि ऐसा मध्यस्थता एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत ऐसे मध्यस्थता से उत्पन्न सभी आवेदन या अपील, जो उच्च न्यायालय में दायर की गई हैं, वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा सुनी जाएंगी और उनका निपटारा किया जाएगा, जहां ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग का गठन ऐसे उच्च न्यायालय में किया गया है।

(2) यदि ऐसा मध्यस्थता किसी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से भिन्न है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत ऐसे मध्यस्थता से उत्पन्न सभी आवेदन या अपील, जो उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में दायर की गई हैं, वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा सुनी जाएंगी और उनका निपटारा किया जाएगा, जहां ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग का गठन ऐसे उच्च न्यायालय में किया गया है।

(3) यदि ऐसा मध्यस्थता किसी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से भिन्न है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत ऐसे मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन या अपील, जो सामान्य रूप से किसी जिले में मूल अधिकार क्षेत्र के किसी भी प्रमुख सिविल न्यायालय (जो उच्च न्यायालय नहीं है) के समक्ष आते हैं, ऐसे वाणिज्यिक न्यायालय में दायर किए जाएंगे, और उनकी सुनवाई और निपटान किया जाएगा, जो ऐसे मध्यस्थता पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, जहां ऐसा वाणिज्यिक न्यायालय गठित किया गया है।

**11. वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक प्रभागों के अधिकार क्षेत्र का वर्जन.-**  इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, वाणिज्यिक न्यायालय या वाणिज्यिक प्रभाग किसी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित किसी वाद, आवेदन या कार्यवाही पर विचार या निर्णय नहीं करेगा, जिसके संबंध में सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त कानून के अंतर्गत स्पष्टतः या निहिततः वर्जित है।

**अध्याय 3**

**निर्दिष्ट मूल्य**

**12. विनिर्दिष्ट मूल्य का निर्धारण.-**  (1) किसी वाद, अपील या आवेदन में वाणिज्यिक विवाद की विषय-वस्तु का विनिर्दिष्ट मूल्य  *और मूल्य*  निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा:-

(क) जहां किसी वाद या आवेदन में मांगी गई राहत धन की वसूली के लिए है, वहां वाद या आवेदन में वसूली के लिए मांगी गई धनराशि, जिसमें ब्याज भी शामिल है, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो, वाद या आवेदन दायर करने की तारीख तक संगणित, ऐसे निर्दिष्ट मूल्य का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा;

(ख) जहां किसी वाद, अपील या आवेदन में मांगी गई राहत चल संपत्ति या उसमें किसी अधिकार से संबंधित है, वहां, यथास्थिति, वाद, अपील या आवेदन दायर करने की तारीख को चल संपत्ति का बाजार मूल्य ऐसे विनिर्दिष्ट मूल्य का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा;

(ग) जहां किसी वाद, अपील या आवेदन में मांगी गई राहत अचल संपत्ति या उसमें किसी अधिकार से संबंधित है, वहां वाद, अपील या आवेदन दायर करने की तारीख को अचल संपत्ति का बाजार मूल्य, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट मूल्य निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा;

(घ) जहां किसी वाद, अपील या आवेदन में मांगी गई राहत किसी अन्य अमूर्त अधिकार से संबंधित है, वहां वादी द्वारा अनुमानित उक्त अधिकारों के बाजार मूल्य को निर्दिष्ट मूल्य निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा;

(ई) छोड़ा गया

(2) किसी वाणिज्यिक विवाद के मध्यस्थता में दावे और प्रतिदावे, यदि कोई हो, का कुल मूल्य, जैसा कि दावे के कथन और प्रतिदावे, यदि कोई हो, में निर्धारित किया गया है, यह निर्धारित करने का आधार होगा कि क्या ऐसा मध्यस्थता, यथास्थिति, वाणिज्यिक प्रभाग, वाणिज्यिक अपील प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

(3) यथास्थिति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के अधीन कोई अपील या सिविल पुनरीक्षण आवेदन किसी वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध नहीं होगा, जिसमें यह पाया गया हो कि उसे इस अधिनियम के अधीन किसी वाणिज्यिक विवाद की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है।

**“अध्याय III-A\***

**पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान\***

*12ए\*. (एल) कोई वाद, जिसमें इस अधिनियम के अधीन किसी अत्यावश्यक अंतरिम राहत की अपेक्षा नहीं की गई है, तब तक आरंभ नहीं किया जाएगा जब तक वादी केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित तरीके और प्रक्रिया के अनुसार पूर्व-संस्था मध्यस्थता के उपाय को समाप्त नहीं कर लेता।*

*(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, संस्था-पूर्व मध्यस्थता के प्रयोजनों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित प्राधिकरणों को प्राधिकृत कर सकेगी।*

*(3) सरकारी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन वादी द्वारा आवेदन किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी करेगा: 1987 का 19*

*बशर्ते कि मध्यस्थता की अवधि को पक्षकारों की सहमति से दो महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:*

*आगे यह भी प्रावधान है कि, वह अवधि जिसके दौरान पक्षकार पूर्व-संस्था मध्यस्थता में व्यस्त रहे, ऐसी अवधि को परिसीमा अधिनियम, 1963 के अधीन परिसीमा के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।*

*(4) यदि वाणिज्यिक विवाद के पक्षकार किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो उसे लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तथा विवाद के पक्षकारों और मध्यस्थ द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।*

*(5) इस धारा के अधीन किए गए समझौते की वही स्थिति और प्रभाव होगा, मानो वह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन सहमत शर्तों पर मध्यस्थता पंचाट हो।"\**

**अध्याय 4**

**अपील**

**13. वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक प्रभागों के आदेशों के विरुद्ध अपीलें**  ।

*“(एल) जिला न्यायाधीश से नीचे के स्तर के किसी वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति निर्णय या आदेश की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय में अपील कर सकता है।\**

*(1A) प्रारंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश स्तर के वाणिज्यिक न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, किसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति,*  
*निर्णय या आदेश की तारीख से छह दिन की अवधि के भीतर उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपील प्रभाग में अपील कर सकता है:\**

*बशर्ते कि किसी वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकेगी, जो इस अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLIII और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम,*  
*1996 की धारा 37 के अंतर्गत विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं।”\**

(2) किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि या उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट में किसी बात के होते हुए भी, किसी वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री के विरुद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ही कोई अपील की जा सकेगी।

**14. अपीलों का शीघ्र निपटान।**  वाणिज्यिक  *अपील न्यायालय और*  वाणिज्यिक अपील प्रभाग, उसके समक्ष दायर अपीलों का निपटान ऐसी अपील दायर करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेंगे।

**अध्याय 5**

**लंबित मुकदमों का स्थानांतरण**

**15. लंबित मामलों का**  स्थानांतरण.-

(1) किसी उच्च न्यायालय में, जहां वाणिज्यिक प्रभाग गठित किया गया है, लंबित किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित सभी वाद और आवेदन, जिनमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आवेदन भी शामिल हैं, वाणिज्यिक प्रभाग को अंतरित कर दिए जाएंगे।

(2) किसी जिले या क्षेत्र में किसी सिविल न्यायालय में, जिसके संबंध में वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है, लंबित किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित सभी वाद और आवेदन, जिनके अंतर्गत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आवेदन भी हैं, ऐसे वाणिज्यिक न्यायालय को अंतरित कर दिए जाएंगे: बशर्ते कि कोई वाद या आवेदन, जहां वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के गठन से पूर्व न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अंतर्गत अंतरित नहीं किया जाएगा।

(3) जहां कोई वाद या आवेदन, जिसके अंतर्गत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित आवेदन भी है, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय को स्थानांतरित हो जाता है, इस अधिनियम के प्रावधान उन प्रक्रियाओं पर लागू होंगे जो स्थानांतरण के समय पूरी नहीं हुई थीं।

(4) वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय, जैसा भी मामला हो, ऐसे स्थानांतरित वाद या आवेदन के संबंध में मामला प्रबंधन सुनवाई कर सकता है ताकि नई समयसीमा निर्धारित की जा सके या ऐसे अतिरिक्त निर्देश जारी किए जा सकें जो  सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के *आदेश XV-A\** के अनुसार ऐसे वाद या आवेदन के शीघ्र और प्रभावकारी निपटान के लिए आवश्यक हो सकते  हैं: बशर्ते कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश V के नियम 1 के उप-नियम (1) का प्रावधान ऐसे स्थानांतरित वाद या आवेदन पर लागू नहीं होगा और न्यायालय अपने विवेकानुसार एक नई समय अवधि निर्धारित कर सकता है जिसके भीतर लिखित बयान दायर किया जाएगा।

(5) यदि ऐसा वाद या आवेदन उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट तरीके से अंतरित नहीं किया जाता है तो उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक अपील प्रभाग, वाद के किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, ऐसे वाद या आवेदन को उस न्यायालय से वापस ले सकेगा जिसके समक्ष वह लंबित है और उसे, यथास्थिति, ऐसे वाद पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय को, विचारण या निपटान के लिए अंतरित कर सकेगा और ऐसा अंतरण आदेश अंतिम और आबद्धकर होगा।

**अध्याय 6**

**सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों में संशोधन**

 16. वाणिज्यिक विवादों पर लागू होने **वाले सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन।-**

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में किसी वाद पर लागू होने में, अनुसूची में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधित हो जाएंगे।

(2) वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक न्यायालय, किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में वाद की सुनवाई में, इस अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों का पालन करेंगे।

(3) जहां अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के किसी नियम का कोई उपबंध या राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में किया गया कोई संशोधन, इस अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के विरोध में है, वहां इस अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध अभिभावी होंगे।

**अध्याय 7**

**मिश्रित**

**17. वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभागों और वाणिज्यिक अपील प्रभागों द्वारा आंकड़ों का संग्रह और प्रकटीकरण। -***वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपील प्रभाग\*,* जैसा भी मामला हो,  के समक्ष दायर मुकदमों, आवेदनों, अपीलों या रिट याचिकाओं की संख्या  , ऐसे मामलों की लंबितता, प्रत्येक मामले की स्थिति और निपटाए गए मामलों की संख्या के संबंध में सांख्यिकीय डेटा प्रत्येक वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग, वाणिज्यिक अपील प्रभाग द्वारा हर महीने बनाए रखा जाएगा और अद्यतन किया जाएगा और संबंधित उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

**18. उच्च न्यायालय की निदेश जारी करने की शक्ति।-**  उच्च न्यायालय, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अध्याय 2 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुपूरक के लिए व्यावहारिक निदेश जारी कर सकेगा, जहां तक ​​ऐसे उपबंध विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई पर लागू होते हैं।

**19. अवसंरचना सुविधाएं.-**  राज्य सरकार वाणिज्यिक न्यायालय या उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराएगी।

**20. प्रशिक्षण और सतत शिक्षा।-**  राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से,  *वाणिज्यिक न्यायालयों* , वाणिज्यिक प्रभाग या उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक अपील प्रभाग में नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं स्थापित कर सकेगी।

**21. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।-**  जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

*“****21ए\*. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति-\****

*(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा,*  
*इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।*  
*(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित रीतियों में से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-*  
*(क) धारा 12क की उपधारा (1) के अधीन संस्था-पूर्व मध्यस्थता की रीति और प्रक्रिया।*

*(ख) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है या जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।\**

*(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने पर सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। तथापि, नियम के ऐसे किसी भी परिवर्तन या निष्प्रभावन से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।*

**22. कठिनाइयों को दूर करने की**  शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों: परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

 23. निरसन **और व्यावृत्ति।-**

(1) वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अध्यादेश, 2015 को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के समतुल्य उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

**अनुसूची**

(  धारा 16 *देखें )*

**1. धारा 26 का संशोधन.-**  सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे इसके पश्चात् संहिता कहा जाएगा) की धारा 26 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “बशर्ते कि ऐसा शपथपत्र नियम 15ए के आदेश VI के अधीन निर्धारित प्ररूप और तरीके में होगा”।

**2. धारा 35 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन.-**  संहिता की धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

35.  **लागत.-**  (1) किसी वाणिज्यिक विवाद के संबंध में, न्यायालय को, किसी अन्य समय प्रवृत्त कानून या नियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, यह निर्धारित करने का विवेकाधिकार है:

(क) क्या लागत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय है;

(ख) उक्त लागत कितनी है; और

(ग) उनका भुगतान कब किया जाना है।

*स्पष्टीकरण.-*  खंड (क) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "लागत" का तात्पर्य निम्नलिखित से संबंधित उचित लागतों से होगा-

(i) गवाहों की फीस और व्यय;

(ii) कानूनी फीस और व्यय;

(iii) कार्यवाही के संबंध में किए गए अन्य व्यय।

(2) यदि न्यायालय लागत के भुगतान के लिए आदेश देने का निर्णय लेता है, तो सामान्य नियम यह है कि असफल पक्ष को सफल पक्ष की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा:

बशर्ते कि न्यायालय लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से सामान्य नियम से हटकर कोई आदेश दे सकता है।

*चित्रण*

वादी ने अपने मुकदमे में अनुबंध के उल्लंघन के लिए धन संबंधी डिक्री तथा हर्जाना मांगा है। न्यायालय का मानना ​​है कि वादी धन संबंधी डिक्री पाने का हकदार है। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि हर्जाने का दावा तुच्छ तथा परेशान करने वाला है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय वादी पर, भले ही वादी सफल पक्ष हो, हर्जाने के लिए तुच्छ दावे करने के लिए लागत लगा सकता है।

(3) लागत के भुगतान के लिए आदेश देने में न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिनमें शामिल हैं-

(क) पक्षों का आचरण;

(ख) क्या कोई पक्षकार अपने मामले में आंशिक रूप से सफल हुआ है, भले ही वह पक्षकार पूर्णतः सफल न हुआ हो;

(ग) क्या पक्षकार ने तुच्छ प्रतिदावा प्रस्तुत किया था जिसके कारण मामले के निपटारे में विलम्ब हुआ;

(घ) क्या किसी पक्ष द्वारा समझौते के लिए कोई उचित प्रस्ताव दिया गया है और दूसरे पक्ष द्वारा अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है; और

(ई) क्या पक्षकार ने तुच्छ दावा किया था और न्यायालय का समय बर्बाद करते हुए कष्टकारी कार्यवाही शुरू की थी

(4) इस प्रावधान के तहत न्यायालय जो आदेश दे सकता है, उसमें यह आदेश भी शामिल है कि पक्षकार को निम्नलिखित का भुगतान करना होगा-

(क) दूसरे पक्ष की लागत का एक अनुपात;

(ख) किसी अन्य पक्ष की लागत के संबंध में निर्दिष्ट राशि;

(ग) किसी निश्चित तिथि से या उस तक की लागतें;

(घ) कार्यवाही शुरू होने से पहले किए गए खर्च;

(ई) कार्यवाही में उठाए गए विशेष कदमों से संबंधित लागतें;

(च) कार्यवाही के किसी विशिष्ट भाग से संबंधित लागतें; और

(छ) किसी निश्चित तिथि से या उस तिथि तक लागतों पर ब्याज।

**3. धारा 35ए में संशोधन.-**  संहिता की धारा 35ए में उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

**4. प्रथम अनुसूची का संशोधन.-**  संहिता की प्रथम अनुसूची में,-

(ए) आदेश वी के नियम 1 के उपनियम (1) में दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि जहां प्रतिवादी तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित बयान दाखिल करने में असफल रहता है, वहां उसे न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य दिन लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे और ऐसी लागतों का भुगतान करने पर, जो न्यायालय उचित समझे, लेकिन यह समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिन के बाद नहीं होगा और समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिन की समाप्ति पर प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल करने के अधिकार से वंचित हो जाएगा और न्यायालय लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं देगा।”

(बी) आदेश VI में,-

(i) नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“3ए. वाणिज्यिक न्यायालयों में दलील के प्रारूप- किसी वाणिज्यिक विवाद में, जहां दलीलों के प्रारूप उच्च न्यायालय के नियमों या ऐसे वाणिज्यिक विवादों के प्रयोजनों के लिए बनाए गए अभ्यास निर्देशों के तहत निर्धारित किए गए हैं, दलीलें ऐसे प्रारूप में होंगी।”

(ii) नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“15ए. वाणिज्यिक विवाद में दलीलों का सत्यापन।-

(1) नियम 15 में किसी बात के होते हुए भी, वाणिज्यिक विवाद में प्रत्येक अभिवचन को इस अनुसूची के परिशिष्ट में निर्धारित तरीके और प्ररूप में शपथपत्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन शपथपत्र पर कार्यवाही के पक्षकार या पक्षकारों में से किसी एक द्वारा, या ऐसे पक्षकार या पक्षकारों की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके बारे में न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह साबित हो गया हो कि वह मामले के तथ्यों से परिचित है और जो ऐसे पक्षकार या पक्षों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत है।

(3) जहां किसी अभिवचन में संशोधन किया जाता है, वहां संशोधनों को उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप और तरीके से सत्यापित किया जाना चाहिए, जब तक कि न्यायालय अन्यथा आदेश न दे।

(4) जहां किसी अभिवचन का सत्यापन उपनियम (1) के अधीन उपबंधित रीति से नहीं किया जाता है, वहां पक्षकार को ऐसे अभिवचन पर या उसमें उल्लिखित किसी विषय पर साक्ष्य के रूप में भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(5) न्यायालय किसी ऐसे अभिवचन को खारिज कर सकता है जो सत्य के कथन, अर्थात् इस अनुसूची के परिशिष्ट में दिए गए शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित नहीं है।”

(सी) आदेश VII में नियम 2 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“2ए. जहां वाद में हित चाहा गया है,-

(1) जहां वादी ब्याज चाहता है, वहां वादपत्र में उपनियम (2) और (3) के अंतर्गत दिए गए ब्यौरे सहित उस आशय का कथन अंतर्विष्ट होगा।

(2) जहां वादी ब्याज चाहता है, वहां वादपत्र में यह बताया जाएगा कि क्या वादी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 34 के अर्थ में किसी वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में ब्याज चाह रहा है और इसके अतिरिक्त, यदि वादी ऐसा किसी संविदा के निबंधनों के अधीन या किसी अधिनियम के अधीन कर रहा है, तो उस स्थिति में अधिनियम को वादपत्र में विनिर्दिष्ट किया जाएगा; या किसी अन्य आधार पर कर रहा है और उसका आधार भी बताया जाएगा।

(3) अभिवचन में यह भी कहा जाएगा-

(क) वह दर जिस पर ब्याज का दावा किया जाता है;

(ख) वह तारीख जिससे इसका दावा किया गया है;

(ग) वह तारीख जिस तक इसकी गणना की जाती है;

(घ) गणना की तिथि तक दावा की गई ब्याज की कुल राशि; और

(ई) वह दैनिक दर जिस पर उस तिथि के बाद ब्याज अर्जित होता है।”

(घ) आदेश VIII में,-

(i) नियम 1 में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“बशर्ते कि जहां प्रतिवादी तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे ऐसे अन्य दिन लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए और ऐसे खर्चों के भुगतान पर, जैसा कि न्यायालय ठीक समझे, लेकिन जो समन की सेवा की तारीख से एक सौ बीस दिनों के बाद नहीं होगा और समन की सेवा की तारीख से एक सौ बीस दिनों की समाप्ति पर, प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल करने के अधिकार को खो देगा और न्यायालय लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं देगा।”

(ii) नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“3ए. उच्च न्यायालय या वाणिज्यिक न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के समक्ष वादों में प्रतिवादी द्वारा इनकार-

(1) इनकार इस नियम के उप-नियम (2), (3), (4) और (5) में दिए गए तरीके से किया जाएगा।

(2) प्रतिवादी अपने लिखित कथन में यह बताएगा कि वादपत्र के विवरण में दिए गए किन आरोपों का वह खंडन करता है, किन आरोपों को वह स्वीकार या अस्वीकृत करने में असमर्थ है, किन्तु वह चाहता है कि वे आरोप वादी द्वारा सिद्ध किए जाएं, तथा किन आरोपों को वह स्वीकार करता है।

(3) जहां प्रतिवादी वादपत्र में तथ्य के किसी अभिकथन से इनकार करता है, वहां उसे ऐसा करने के अपने कारण बताने होंगे और यदि वह वादी द्वारा दी गई घटनाओं से भिन्न संस्करण प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे अपना स्वयं का संस्करण प्रस्तुत करना होगा।

(4) यदि प्रतिवादी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विवाद करता है तो उसे ऐसा करने के कारण बताने होंगे और यदि वह सक्षम हो तो अपना स्वयं का कथन देना होगा कि किस न्यायालय को अधिकार क्षेत्र होना चाहिए।

(5) यदि प्रतिवादी वादी के मुकदमे के मूल्यांकन पर विवाद करता है, तो उसे ऐसा करने के अपने कारण बताने होंगे, और यदि वह सक्षम है, तो मुकदमे के मूल्य का अपना विवरण देना होगा।”

(iii) नियम 5 के उपनियम (1) में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि यदि वादपत्र में तथ्य के प्रत्येक अभिकथन का इस आदेश के नियम 3ए के अंतर्गत दिए गए तरीके से खंडन नहीं किया जाता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, सिवाय दिव्यांग व्यक्ति के विरुद्ध।"

(iv) नियम 10 में, [लोप किया गया]\* निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“बशर्ते  *कि\** कोई भी न्यायालय लिखित बयान दाखिल करने के लिए इस आदेश के नियम 1 के तहत दिए गए समय को बढ़ाने का आदेश नहीं देगा।”

(ई) संहिता के आदेश XI के स्थान पर निम्नलिखित आदेश प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**“आदेश XI**

उच्च न्यायालय या वाणिज्यिक न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के समक्ष वादों में दस्तावेजों का प्रकटीकरण, खोज और निरीक्षण

1.  **दस्तावेजों का प्रकटीकरण और खोज।-**  (1) वादी, वाद से संबंधित अपने अधिकार, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में सभी दस्तावेजों की सूची और फोटोकॉपी, वादपत्र के साथ दाखिल करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(क) वादी द्वारा वादपत्र में संदर्भित तथा उन पर निर्भर किये गये दस्तावेज;

(ख) कार्यवाही में विचाराधीन किसी मामले से संबंधित दस्तावेज, जो वाद दायर करने की तिथि को वादी के अधिकार, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हों, भले ही वे वादी के मामले के समर्थन में हों या उसके प्रतिकूल हों;

(ग) इस नियम की कोई बात वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर लागू नहीं होगी और केवल निम्नलिखित प्रासंगिक होगी-

(i) प्रतिवादी के साक्षियों की जिरह के लिए, या

(ii) वाद दायर करने के बाद प्रतिवादी द्वारा स्थापित किसी मामले के प्रत्युत्तर में, या

(iii) किसी गवाह को केवल उसकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए सौंप दिया गया हो।

(2) वादपत्र के साथ दायर दस्तावेजों की सूची में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि वादी के अधिकार, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में जो दस्तावेज हैं, वे मूल हैं, कार्यालय प्रतियां हैं या फोटोप्रतियां हैं और सूची में प्रत्येक दस्तावेज के पक्षकारों का ब्यौरा, निष्पादन का तरीका, जारी करने या प्राप्ति तथा प्रत्येक दस्तावेज की अभिरक्षा की सीमा भी संक्षेप में दी जाएगी।

(3) वादपत्र में वादी की ओर से शपथ पर यह घोषणा की जाएगी कि उसके द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में सभी दस्तावेज प्रकट कर दिए गए हैं और उनकी प्रतियां वादपत्र के साथ संलग्न कर दी गई हैं, तथा वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं है।

*स्पष्टीकरण.-*  इस उपनियम के अंतर्गत शपथ पर घोषणा परिशिष्ट में दिए गए सत्य कथन में निहित होगी।

(4) तत्काल दाखिल करने के मामले में, वादी शपथ पर उपरोक्त घोषणा के भाग के रूप में अतिरिक्त दस्तावेजों पर भरोसा करने की अनुमति मांग सकता है और न्यायालय द्वारा ऐसी अनुमति प्रदान किए जाने के अधीन, वादी मुकदमा दायर करने के तीस दिनों के भीतर न्यायालय में ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करेगा, साथ ही शपथ पर घोषणा करेगा कि वादी ने वादी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित अपनी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या हिरासत में सभी दस्तावेज पेश किए हैं और वादी के पास अपनी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या हिरासत में कोई अन्य दस्तावेज नहीं है।

(5) वादी को उन दस्तावेजों पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या हिरासत में थे और जिन्हें वादपत्र के साथ या ऊपर निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर प्रकट नहीं किया गया था, न्यायालय की अनुमति के बिना और ऐसी अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब वादी वादपत्र के साथ प्रकटीकरण न करने का उचित कारण स्थापित करे।

(6) वादपत्र में उन दस्तावेजों का ब्यौरा दिया जाएगा, जिनके बारे में वादी का विश्वास है कि वे प्रतिवादी के अधिकार, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं और जिन पर वादी निर्भर करना चाहता है तथा प्रतिवादी द्वारा उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता है।

(7) प्रतिवादी मुकदमे से संबंधित अपने अधिकार, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में सभी दस्तावेजों की सूची और फोटोकॉपी, लिखित कथन या अपने प्रतिदावे, यदि कोई हो, के साथ दाखिल करेगा, जिसमें शामिल हैं-

(क) लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा संदर्भित और जिन पर भरोसा किया गया दस्तावेज;

(ख) कार्यवाही में विचाराधीन किसी मामले से संबंधित दस्तावेज प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हों, भले ही वे प्रतिवादी के बचाव के समर्थन में हों या उसके प्रतिकूल हों;

(ग) इस नियम की कोई बात प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर लागू नहीं होगी और केवल निम्नलिखित के लिए प्रासंगिक होगी-

(i) वादी के साक्षियों की जिरह के लिए,

(ii) वाद दायर करने के बाद वादी द्वारा स्थापित किसी मामले के जवाब में, या

(iii) किसी गवाह को केवल उसकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए सौंप दिया गया हो।

(8) लिखित कथन या प्रतिदावे के साथ दाखिल दस्तावेजों की सूची में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि प्रतिवादी के अधिकार, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में मौजूद दस्तावेज मूल हैं, कार्यालय प्रतियां हैं या फोटोकॉपी हैं और सूची में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे प्रत्येक दस्तावेज के पक्षकारों का विवरण, निष्पादन, जारी करने या प्राप्ति का तरीका और प्रत्येक दस्तावेज की अभिरक्षा की सीमा भी संक्षेप में दी जाएगी।

(9) लिखित कथन या प्रतिदावे में अभिसाक्षी द्वारा शपथ पर की गई घोषणा अंतर्विष्ट होगी कि प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में सभी दस्तावेज, उपनियम (7)(ग)(iii) में निर्धारित दस्तावेजों को छोड़कर, जो वादी द्वारा आरंभ की गई कार्यवाही या प्रतिदावे के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित हैं, प्रकट कर दिए गए हैं और उनकी प्रतियां लिखित कथन या प्रतिदावे के साथ संलग्न कर दी गई हैं और प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं हैं।

(10) उप-नियम (7)(सी)(iii) को छोड़कर, प्रतिवादी को उन दस्तावेजों पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या हिरासत में थे और लिखित बयान या प्रतिदावे के साथ प्रकट नहीं किए गए थे, सिवाय न्यायालय की अनुमति के और ऐसी अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब प्रतिवादी लिखित बयान या प्रतिदावे के साथ गैर-प्रकटीकरण के लिए उचित कारण स्थापित करे।

(11) लिखित कथन या प्रतिदावे में वादी के अधिकार, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में उन दस्तावेजों का ब्यौरा दिया जाएगा, जिन पर प्रतिवादी भरोसा करना चाहता है और जिन्हें वादपत्र के साथ प्रकट नहीं किया गया है, तथा वादी से उन्हें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा।

(12) किसी पक्षकार की जानकारी में आए दस्तावेजों को प्रकट करने का कर्तव्य वाद के निपटारे तक जारी रहेगा।

2.  **पूछताछ की खोज।**  -

(1) किसी वाद में वादी या प्रतिवादी, न्यायालय की अनुमति से, विरोधी पक्षकारों या ऐसे पक्षकारों में से किसी एक या अधिक की परीक्षा के लिए लिखित रूप में प्रश्न-पत्र परोस सकेगा और जब ऐसे प्रश्न-पत्र परोसे जाएं तो उनके नीचे एक टिप्पणी होगी जिसमें यह बताया जाएगा कि ऐसे प्रश्नों में से किस-किस प्रश्न का उत्तर ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देना है:

परन्तु कोई भी पक्षकार उस प्रयोजन के लिए आदेश के बिना एक ही पक्षकार को एक से अधिक प्रश्नावलियां नहीं देगा: परन्तु यह भी कि जो प्रश्नावलियां वाद में किसी विषय से संबंधित नहीं हैं, उन्हें अप्रासंगिक समझा जाएगा, भले ही वे किसी साक्षी की मौखिक जिरह पर ग्राह्य हों।

(2) प्रश्नवाचकों के वितरण की अनुमति के लिए आवेदन पर, प्रस्तावित विशिष्ट प्रश्नवाचक न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे और न्यायालय उक्त आवेदन के दाखिल होने के दिन से सात दिन के भीतर उस पर निर्णय करेगा। ऐसे आवेदन पर निर्णय करते समय न्यायालय उस पक्षकार द्वारा किए गए किसी भी प्रस्ताव पर विचार करेगा, जो प्रश्नगत विषयों से संबंधित विवरण देने, या स्वीकारोक्ति करने, या दस्तावेज प्रस्तुत करने या उनमें से किसी के लिए किया गया हो और प्रस्तुत किए गए प्रश्नवाचकों में से केवल ऐसे प्रश्नवाचकों के लिए अनुमति दी जाएगी, जिन्हें न्यायालय वाद के निष्पक्ष निपटारे के लिए या लागत बचाने के लिए आवश्यक समझे।

(3) वाद की जांच की लागतों का समायोजन करते समय किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर ऐसी पूछताछों को प्रदर्शित करने के औचित्य पर विचार किया जाएगा और यदि कर अधिकारी या न्यायालय की यह राय है कि ऐसी पूछताछें, जांच के लिए आवेदन के साथ या उसके बिना, अनुचित रूप से, तंग करने वाले ढंग से या अनुचित लंबाई में प्रदर्शित की गई हैं, तो उक्त पूछताछों और उनके उत्तरों के कारण हुई लागतों का भुगतान किसी भी स्थिति में दोषी पक्षकार द्वारा किया जाएगा।

(4) पूछताछ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के परिशिष्ट सी में प्रपत्र संख्या 2 में दिए गए प्रारूप में होगी, जिसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(5) जहां किसी वाद का कोई पक्षकार कोई निगम या व्यक्तियों का निकाय है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसे अपने नाम से या किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के नाम से वाद लाने या वाद लाए जाने का अधिकार विधि द्वारा प्राप्त है, वहां कोई भी विरोधी पक्षकार ऐसे निगम या निकाय के किसी सदस्य या अधिकारी को प्रश्नवाचक देने के लिए उसे अनुज्ञात करने वाले आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और तदनुसार आदेश किया जा सकेगा।

(6) किसी प्रश्न का उत्तर देने में कोई आपत्ति इस आधार पर की जा सकेगी कि वह निंदनीय या अप्रासंगिक है या  वाद के प्रयोजन के लिए *सद्भावना* प्रदर्शित नहीं की गई है  , या कि जिन विषयों की जांच की गई है वे उस प्रक्रम पर पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं, या विशेषाधिकार के आधार पर या किसी अन्य आधार पर, उत्तर में शपथपत्र में ली जा सकेगी।

(7) किसी भी प्रश्नपत्र को इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि उसे अनुचित रूप से या तंग करने वाले ढंग से प्रदर्शित किया गया है, या इस आधार पर हटाया जा सकता है कि वह लम्बा, दमनकारी, अनावश्यक या निंदनीय है और इस प्रयोजन के लिए कोई भी आवेदन प्रश्नपत्र की तामील के सात दिन के भीतर किया जा सकता है।

(8) प्रश्नों का उत्तर हलफनामे द्वारा दस दिन के भीतर या न्यायालय द्वारा अनुज्ञात अन्य समय के भीतर दाखिल किया जाएगा।

(9) पूछताछ के उत्तर में हलफनामा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के परिशिष्ट सी में प्रपत्र संख्या 3 में दिए गए प्रारूप में होगा, जिसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(10) उत्तर में किसी शपथपत्र पर कोई आपत्ति नहीं ली जाएगी, किन्तु ऐसे किसी शपथपत्र की पर्याप्तता या अन्यथा, जिस पर अपर्याप्त के रूप में आपत्ति की गई हो, न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(11) जहां पूछताछ किया गया कोई व्यक्ति उत्तर देने से चूक जाता है या अपर्याप्त उत्तर देता है, वहां पूछताछ करने वाला पक्ष न्यायालय से आदेश के लिए आवेदन कर सकता है जिसमें उससे उत्तर देने या, यथास्थिति, आगे और उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है और उससे उत्तर देने या आगे और उत्तर देने की अपेक्षा करने वाला आदेश पारित किया जा सकता है, जैसा न्यायालय निर्देश दे, या तो शपथपत्र द्वारा या  *मौखिक*  परीक्षा द्वारा।

3.  **निरीक्षण.-** ​

(1) सभी पक्षों को लिखित कथन या प्रतिदावे के लिखित कथन दाखिल करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर प्रकट किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण पूरा करना होगा, जो भी बाद में हो। न्यायालय अपने विवेक पर आवेदन पर इस समय सीमा को बढ़ा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में तीस दिनों से अधिक नहीं।

(2) कार्यवाही में शामिल कोई भी पक्षकार, कार्यवाही के किसी भी चरण में न्यायालय से, दूसरे पक्षकार द्वारा दस्तावेजों के निरीक्षण या प्रस्तुतीकरण के लिए निर्देश मांग सकेगा, जिनका निरीक्षण करने से ऐसे पक्षकार द्वारा इनकार कर दिया गया है या प्रस्तुतीकरण हेतु नोटिस जारी करने के बावजूद दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(3) ऐसे आवेदन पर आदेश का निपटारा आवेदन दाखिल करने के तीस दिन के भीतर किया जाएगा, जिसमें उत्तर और प्रत्युत्तर दाखिल करना (यदि न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई हो) और सुनवाई भी शामिल है।

(4) यदि उपर्युक्त आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो उसका निरीक्षण तथा उसकी प्रतियां, ऐसे आदेश के पांच दिन के भीतर, आवेदन मांगने वाले पक्ष को उपलब्ध करा दी जाएंगी।

(5) किसी भी पक्षकार को किसी दस्तावेज पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे प्रकट करने में वह असफल रहा हो या जिसका निरीक्षण नहीं किया गया हो, न्यायालय की अनुमति के बिना।

(6) न्यायालय किसी चूककर्ता पक्षकार के विरुद्ध अनुकरणीय लागत अधिरोपित कर सकता है, जिसने जानबूझकर या लापरवाही से किसी वाद से संबंधित या उसमें निर्णय के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को प्रकट करने में चूक की है और जो उसके अधिकार, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं या जहां न्यायालय का यह मानना ​​है कि किसी दस्तावेज का निरीक्षण या उसकी प्रतियां गलत या अनुचित रूप से रोकी गई हैं या देने से इनकार किया गया है।

4.  **दस्तावेजों की स्वीकृति और अस्वीकृति।**  - (1) प्रत्येक पक्ष, प्रकट किए गए सभी दस्तावेजों की स्वीकृति या अस्वीकृति का विवरण, जिनका निरीक्षण पूरा हो चुका है, निरीक्षण पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर या न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी बाद की तारीख को प्रस्तुत करेगा।

(2) स्वीकृति और अस्वीकृति के कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया जाएगा कि ऐसा पक्षकार निम्नलिखित को स्वीकार कर रहा था या अस्वीकार कर रहा था:-

(क) दस्तावेज़ की विषय-वस्तु की शुद्धता;

(ख) किसी दस्तावेज़ का अस्तित्व;

(ग) किसी दस्तावेज़ का निष्पादन;

(घ) किसी दस्तावेज़ का जारी करना या प्राप्त करना;

(ई) किसी दस्तावेज़ की अभिरक्षा।

*स्पष्टीकरण.-*  उपनियम (2)(ख) के अनुसार किसी दस्तावेज के अस्तित्व की स्वीकृति या अस्वीकृति के कथन में दस्तावेज की अंतर्वस्तु की स्वीकृति या अस्वीकृति सम्मिलित होगी।

3) प्रत्येक पक्षकार उपर्युक्त किसी भी आधार के तहत दस्तावेज को अस्वीकार करने के लिए कारण बताएगा तथा केवल और बिना समर्थन के अस्वीकार को दस्तावेज का अस्वीकार नहीं माना जाएगा तथा न्यायालय के विवेकानुसार ऐसे दस्तावेजों के सबूत देने से छूट दी जा सकती है।

(4) तथापि, कोई भी पक्षकार ऐसे तृतीय पक्ष दस्तावेजों के लिए केवल खंडन प्रस्तुत कर सकता है, जिनके बारे में खंडन करने वाले पक्षकार को कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, तथा जिनमें खंडन करने वाला पक्षकार किसी भी तरह से पक्षकार नहीं है।

(5) स्वीकृति और अस्वीकृति के कथन के समर्थन में एक शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा जिसमें कथन की विषय-वस्तु की सत्यता की पुष्टि की जाएगी।

(6) यदि न्यायालय यह मानता है कि किसी पक्षकार ने उपर्युक्त मानदंडों के अंतर्गत किसी दस्तावेज को स्वीकार करने से अनुचित रूप से इनकार कर दिया है, तो न्यायालय द्वारा ऐसे पक्षकार पर दस्तावेज की स्वीकार्यता पर निर्णय लेने के लिए लागत (अनुकरणीय लागत सहित) लगाई जा सकेगी।

(7) न्यायालय स्वीकृत दस्तावेजों के संबंध में आदेश पारित कर सकता है, जिसमें उन पर आगे सबूत देने से छूट देना या किसी दस्तावेज को अस्वीकार करना भी शामिल है।

5.  **दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण।-**  (1) किसी कार्यवाही का कोई पक्षकार किसी वाद के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय किसी पक्षकार या व्यक्ति द्वारा ऐसे वाद में प्रश्नगत किसी विषय से संबंधित ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है या न्यायालय आदेश दे सकता है जो ऐसे पक्षकार या व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में हों।

(2) ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के परिशिष्ट सी में प्रपत्र संख्या 7 में दिए गए प्रारूप में जारी किया जाएगा।

(3) किसी पक्षकार या व्यक्ति को, जिसे प्रस्तुत करने के लिए ऐसा नोटिस जारी किया जाता है, ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने में अपनी असमर्थता का उत्तर देने के लिए कम से कम सात दिन और अधिक से अधिक पन्द्रह दिन का समय दिया जाएगा।

(4) न्यायालय, ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने के पश्चात् उसे प्रस्तुत करने से इंकार करने वाले पक्षकार के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकेगा और जहां ऐसे प्रस्तुत न करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिए गए हैं वहां लागत का आदेश दे सकेगा।

6.  **इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख.-**  (1) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों (जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित किया गया है) के प्रकटीकरण और निरीक्षण के मामले में, प्रिंटआउट प्रस्तुत करना उपर्युक्त प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन होगा।

(2) पक्षकारों के विवेकानुसार या जहां अपेक्षित हो (जब पक्षकार ऑडियो या वीडियो सामग्री पर निर्भर रहना चाहें), इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की प्रतियां प्रिंटआउट के अतिरिक्त या उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

(3) जहां इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रकट किए गए दस्तावेजों का भाग हैं, वहां पक्षकार द्वारा दाखिल की जाने वाली शपथ घोषणा में निम्नलिखित निर्दिष्ट किया जाएगा-

(क) ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के पक्षकार;

(ख) ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किस प्रकार तैयार किया गया तथा किसके द्वारा तैयार किया गया;

(ग) प्रत्येक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की तैयारी या भंडारण या जारी करने या प्राप्ति की तारीखें और समय;

(घ) ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख का स्रोत तथा वह तारीख और समय जब इलैक्ट्रानिक अभिलेख मुद्रित किया गया था;

(ई) ईमेल आईडी के मामले में, स्वामित्व, संरक्षण और ऐसी ईमेल आईडी तक पहुंच का ब्यौरा;

(च) कंप्यूटर या कंप्यूटर संसाधन (बाह्य सर्वर या क्लाउड सहित) पर संग्रहीत दस्तावेजों के मामले में, कंप्यूटर या कंप्यूटर संसाधन पर ऐसे डेटा के स्वामित्व, अभिरक्षा और पहुंच का ब्यौरा;

(छ) साक्ष्यकर्ता को विषय-वस्तु का ज्ञान तथा विषय-वस्तु की शुद्धता;

(ज) क्या ऐसे दस्तावेज या डेटा को तैयार करने, प्राप्त करने या संग्रहीत करने के लिए उपयोग किया गया कंप्यूटर या कंप्यूटर संसाधन ठीक से काम कर रहा था या खराबी की स्थिति में ऐसी खराबी से संग्रहीत दस्तावेज की सामग्री प्रभावित नहीं हुई थी;

(i) प्रस्तुत किया गया प्रिंटआउट या प्रतिलिपि मूल कंप्यूटर या कंप्यूटर संसाधन से ली गई थी।

(4) किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रिंटआउट या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिलिपि पर निर्भर रहने वाले पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि ऐसे पक्षकारों द्वारा यह घोषणा की जाए कि प्रत्येक ऐसी प्रतिलिपि, जो प्रस्तुत की गई है, मूल इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से बनाई गई है।

(5) न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता के लिए निर्देश दे सकेगा।

(6) कोई भी पक्ष न्यायालय से निर्देश मांग सकता है और न्यायालय अपने प्रस्ताव पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्वीकार करने से पहले मेटा डेटा या लॉग सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अतिरिक्त सबूत प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।

7.  **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे।**  - संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XIII नियम 1, आदेश VII नियम 14 और आदेश VIII नियम 1A उच्च न्यायालय या वाणिज्यिक न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभागों के समक्ष मुकदमों या आवेदनों पर लागू नहीं होंगे।

**5. नये आदेश XIII-ए का सम्मिलन.-**  संहिता के आदेश XIII के पश्चात् निम्नलिखित आदेश सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“आदेश XIII-ए

सारांश निर्णय

1.  **मुकदमों का दायरा और वर्ग जिन पर यह आदेश लागू होता है।**  – (1) यह आदेश उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसके द्वारा न्यायालय मौखिक साक्ष्य दर्ज किए बिना किसी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित दावे का फैसला कर सकते हैं। (2) इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, “दावा” शब्द में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) दावे का हिस्सा;

(ख) कोई विशेष प्रश्न जिस पर दावा (पूर्णतः या भागतः) निर्भर करता है; या

(ग) प्रतिदावा, जैसा भी मामला हो।

(3) इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, इस आदेश के अंतर्गत सारांश निर्णय के लिए आवेदन किसी वाणिज्यिक विवाद के संबंध में नहीं किया जाएगा, जो मूल रूप से आदेश XXXVII के अंतर्गत सारांश मुकदमे के रूप में दायर किया गया हो।

2.  **सारांश निर्णय के लिए आवेदन का चरण।**  - आवेदक प्रतिवादी को समन की तामील के बाद किसी भी समय सारांश निर्णय के लिए आवेदन कर सकता है: बशर्ते कि, ऐसे आवेदक द्वारा सारांश निर्णय के लिए कोई आवेदन न्यायालय द्वारा वाद के संबंध में मुद्दों को तैयार करने के बाद नहीं किया जा सकता है।

3.  **सारांश निर्णय के लिए आधार.-**  न्यायालय किसी दावे पर वादी या प्रतिवादी के विरुद्ध सारांश निर्णय दे सकता है यदि उसका विचार है कि-

(क) वादी के पास दावे में सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है या प्रतिवादी के पास दावे का सफलतापूर्वक बचाव करने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है, जैसा भी मामला हो; तथा

(ख) ऐसा कोई अन्य बाध्यकारी कारण नहीं है कि मौखिक साक्ष्य दर्ज किए जाने से पहले दावे का निपटारा क्यों न कर दिया जाए।

4.  **प्रक्रिया.-**  (1) किसी न्यायालय को संक्षिप्त निर्णय के लिए आवेदन में, आवेदक द्वारा सुसंगत समझे जाने वाले अन्य विषयों के अतिरिक्त, नीचे उल्लिखित उप-खण्ड (क) से (च) में निर्धारित विषय सम्मिलित होंगे:-

(क) आवेदन में यह कथन होना चाहिए कि यह इस आदेश के अंतर्गत सारांश निर्णय के लिए किया गया आवेदन है;

(ख) आवेदन में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का स्पष्ट रूप से खुलासा होना चाहिए तथा विधि के बिन्दु, यदि कोई हो, की पहचान होनी चाहिए

(ग) यदि आवेदक किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा करना चाहता है, तो आवेदक को,-

(i) अपने आवेदन में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य शामिल करेगा, और

(ii) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की प्रासंगिक सामग्री की पहचान करना जिस पर आवेदक निर्भर करता है;

(घ) आवेदन में कारण बताना होगा कि दावे पर सफलता पाने या दावे का बचाव करने की कोई वास्तविक संभावना क्यों नहीं है, जैसा भी मामला हो;

(ई) आवेदन में यह अवश्य बताया जाना चाहिए कि आवेदक क्या राहत चाहता है तथा ऐसी राहत मांगने के आधारों का भी संक्षेप में उल्लेख किया जाना चाहिए।

(2) जहां संक्षिप्त निर्णय के लिए सुनवाई नियत की जाती है, वहां प्रत्यर्थी को कम से कम तीस दिन पहले निम्नलिखित की सूचना दी जानी चाहिए:-

(क) सुनवाई के लिए नियत तारीख; और

(ख) वह दावा जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा ऐसी सुनवाई में किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रतिवादी, सारांश निर्णय के आवेदन की सूचना या सुनवाई की सूचना (जो भी पहले हो) की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, नीचे उल्लिखित खंड (क) से (च) में निर्धारित मामलों के अलावा किसी अन्य मामले को संबोधित करते हुए उत्तर दाखिल कर सकता है जिसे प्रतिवादी प्रासंगिक समझे:-

(क) उत्तर में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बातें होनी चाहिए-

(i) सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना;

(ii) यदि कोई कानूनी मुद्दा हो तो उसकी पहचान करना; और

(iii) कारण बताएं कि आवेदक द्वारा मांगी गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए;

(ख) यदि प्रत्यर्थी अपने उत्तर में किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करना चाहता है, तो प्रत्यर्थी को-

(i) अपने उत्तर में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य शामिल करेगा; और

(ii) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की प्रासंगिक सामग्री की पहचान करना जिस पर प्रतिवादी निर्भर करता है;

(ग) उत्तर में कारण बताना होगा कि दावे पर सफलता पाने या दावे का बचाव करने की वास्तविक संभावनाएं क्यों हैं, जैसा भी मामला हो;

(घ) उत्तर में उन मुद्दों का संक्षेप में उल्लेख होना चाहिए जिन पर विचार किया जाना चाहिए;

(ई) उत्तर में यह बताया जाना चाहिए कि परीक्षण के दौरान अभिलेख पर कौन सा अतिरिक्त साक्ष्य लाया जाएगा जिसे सारांश निर्णय के चरण में अभिलेख पर नहीं लाया जा सका; तथा

(च) उत्तर में यह अवश्य बताया जाना चाहिए कि साक्ष्य या अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री (यदि कोई हो) के आलोक में न्यायालय को संक्षिप्त निर्णय क्यों नहीं देना चाहिए।

5.  **सारांश निर्णय की सुनवाई के लिए साक्ष्य.-**  (1) इस आदेश में किसी बात के होते हुए भी, यदि सारांश निर्णय के लिए आवेदन में प्रतिवादी सुनवाई के दौरान अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा करना चाहता है, तो प्रतिवादी को:-

(क) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करें; और

(ख) सुनवाई की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले आवेदन के प्रत्येक अन्य पक्षकार को ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियां उपलब्ध कराएगा।

(2) इस आदेश में किसी बात के होते हुए भी, यदि संक्षिप्त निर्णय के लिए आवेदक प्रतिवादी के दस्तावेजी साक्ष्य के उत्तर में दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करना चाहता है, तो आवेदक को:-

(क) उत्तर में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करें; और

(ख) सुनवाई की तारीख से कम से कम पांच दिन पहले ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की एक प्रति प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराएगा।

(3) इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, उप-नियम (1) और (2) में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होगी:-

(क) यदि ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पहले ही दाखिल किया जा चुका है तो दाखिल किया जाएगा; या

(ख) उस पक्षकार को तामील किया जाएगा जिस पर पहले ही तामील की जा चुकी है।

6.  **न्यायालय द्वारा दिए जा सकने वाले आदेश.-**  (1) इस आदेश के तहत किए गए आवेदन पर न्यायालय ऐसे आदेश दे सकता है जो वह अपने विवेक से उचित समझे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) दावे पर निर्णय;

(ख) नीचे उल्लिखित नियम 7 के अनुसार सशर्त आदेश;

(ग) आवेदन को खारिज करना;

(घ) दावे के भाग को खारिज करना तथा दावे के उस भाग पर निर्णय देना जो खारिज नहीं किया गया है;

(ई) दलीलों को (पूरी तरह या आंशिक रूप से) खारिज करना; या

(च) आदेश XV-ए के तहत मामले के प्रबंधन के लिए आगे की कार्यवाही हेतु निर्देश।

(2) जहां न्यायालय उपनियम (1) (क) से (च) में दिए गए आदेशों में से कोई आदेश देता है, वहां न्यायालय ऐसा आदेश देने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।

7.  **सशर्त आदेश।-**  (1) जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि यह संभव है कि दावा या बचाव सफल हो सकता है, लेकिन यह असंभाव्य है कि ऐसा होगा, न्यायालय नियम 6(1)(ख) में निर्धारित सशर्त आदेश दे सकता है।(2) जहां न्यायालय सशर्त आदेश देता है, वह:-

(क) इसे निम्नलिखित सभी या किसी भी शर्त के अधीन कर दिया जाएगा:-

(i) किसी पक्षकार को न्यायालय में धनराशि जमा करने के लिए कहना;

(ii) किसी पक्ष को दावे या बचाव के संबंध में, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट कदम उठाने के लिए बाध्य करना;

(iii) किसी पक्षकार से, जैसा भी मामला हो, लागत की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसी सुरक्षा देने या ज़मानत देने की अपेक्षा करना, जैसा कि न्यायालय उचित और उचित समझे;

(iv) ऐसी अन्य शर्तें लगाना, जिनमें मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किसी पक्ष को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करना भी शामिल है, जैसा कि न्यायालय अपने विवेकानुसार उचित समझे; तथा

(ख) सशर्त आदेश का अनुपालन न करने के परिणामों को निर्दिष्ट करना, जिसमें सशर्त आदेश का अनुपालन न करने वाले पक्ष के विरुद्ध निर्णय पारित करना भी शामिल है।

8.  **लागत लगाने की शक्ति।-**  न्यायालय संहिता की धारा 35 और 35ए के उपबंधों के अनुसार सारांश निर्णय के लिए आवेदन में लागत के भुगतान के लिए आदेश दे सकता है।"

**6. आदेश XV का लोप.-**  संहिता के आदेश XV का लोप किया जाएगा।

**7. संहिता XV-ए का अंतःस्थापन.-**  संहिता के आदेश XV के पश्चात् निम्नलिखित आदेश अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“आदेश XV-A

मामला प्रबंधन सुनवाई

1.  **प्रथम मामला प्रबंधन सुनवाई.-**  न्यायालय, मुकदमे के सभी पक्षों द्वारा दस्तावेजों के स्वीकारोक्ति या अस्वीकृति के हलफनामे दाखिल करने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर प्रथम मामला प्रबंधन सुनवाई आयोजित करेगा।

2.  **मामला प्रबंधन सुनवाई में पारित किए जाने वाले आदेश.-**  मामला प्रबंधन सुनवाई में, पक्षों को सुनने के बाद, और जब उसे पता चले कि तथ्य और कानून के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, तो न्यायालय आदेश पारित कर सकता है-

(क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XIV के अनुसार पक्षकारों के बीच मुद्दों को तैयार करना, दलीलों, दस्तावेजों और उसके समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों की जांच करने के बाद, और यदि आवश्यक हो तो आदेश एक्स के नियम 2 के तहत न्यायालय द्वारा किए गए परीक्षण पर;

(ख) पक्षकारों द्वारा जांचे जाने वाले गवाहों को सूचीबद्ध करना;

(ग) वह तारीख निश्चित करना जिसके द्वारा पक्षकारों द्वारा साक्ष्य का हलफनामा दाखिल किया जाएगा;

(घ) वह तारीख नियत करना जिस दिन पक्षकारों के साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित किया जाएगा;

(ई) वह तारीख तय करना जिसके द्वारा पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष लिखित दलीलें दाखिल की जाएंगी;

(च) वह तारीख नियत करना जिस दिन न्यायालय द्वारा मौखिक दलीलें सुनी जाएंगी; तथा

(छ) पक्षों और उनके अधिवक्ताओं के लिए मौखिक दलीलें देने हेतु समय-सीमा निर्धारित करना।

3.  **मुकदमे के पूरा होने की समय सीमा।**  – इस आदेश के नियम 2 के प्रयोजनों के लिए तारीखें तय करने या समय सीमा निर्धारित करने में, न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बहस पहली केस प्रबंधन सुनवाई की तारीख से छह महीने के भीतर बंद हो जाए।

4.  **मौखिक साक्ष्य का दैनिक आधार पर अभिलेखन।**  - न्यायालय, जहां तक ​​संभव हो, यह सुनिश्चित करेगा कि साक्ष्य का अभिलेखन दैनिक आधार पर तब तक किया जाएगा जब तक कि सभी गवाहों की जिरह पूरी नहीं हो जाती।

5.  **मुकदमे के दौरान मामला प्रबंधन सुनवाई।**  - न्यायालय, यदि आवश्यक हो, तो उचित आदेश जारी करने के लिए मुकदमे के दौरान किसी भी समय मामला प्रबंधन सुनवाई भी कर सकता है, ताकि नियम 2 के तहत तय तारीखों का पक्षकारों द्वारा पालन सुनिश्चित किया जा सके और मुकदमे का शीघ्र निपटान किया जा सके।

6.  **मामला प्रबंधन सुनवाई में न्यायालय की शक्तियां.-**  (1) इस आदेश के तहत आयोजित किसी भी मामला प्रबंधन सुनवाई में, न्यायालय को निम्नलिखित की शक्ति होगी-

(क) मुद्दों के निर्धारण से पहले, आदेश XIII-ए के तहत पक्षों द्वारा दायर किसी भी लंबित आवेदन पर सुनवाई करना और निर्णय देना;

(ख) पक्षकारों को मुद्दों को तैयार करने के लिए प्रासंगिक और आवश्यक दस्तावेजों या दलीलों का संकलन दाखिल करने का निर्देश देना;

(ग) किसी प्रथा, निर्देश या न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए समय को बढ़ा या घटा सकता है, यदि उसे ऐसा करने का पर्याप्त कारण मिलता है;

(घ) यदि उसे ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण मिले तो सुनवाई स्थगित कर सकता है या आगे बढ़ा सकता है;

(ई) आदेश एक्स के नियम 2 के तहत परीक्षा के प्रयोजनों के लिए किसी पक्ष को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश देना;

(च) कार्यवाही को समेकित करना;

(छ) किसी ऐसे गवाह या साक्ष्य का नाम काट देना जिसे वह विरचित मुद्दों से अप्रासंगिक समझता हो;

(ज) किसी मुद्दे पर पृथक सुनवाई का निर्देश देना;

(i) वह क्रम निश्चित करना जिसमें मुद्दों पर विचार किया जाना है;

(जे) किसी मुद्दे को विचार से बाहर करना;

(ट) किसी प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय के बाद किसी दावे को खारिज करना या उस पर निर्णय देना;

(ठ) निर्देश दे सकेगी कि जहां आवश्यक हो, आदेश XXVI के अनुसार आयोग द्वारा साक्ष्य दर्ज किया जाए;

(एम) पक्षकारों द्वारा दायर साक्ष्य के किसी भी हलफनामे को अप्रासंगिक, अग्राह्य या तर्कपूर्ण सामग्री होने के कारण अस्वीकार कर देना;

(ढ) पक्षकारों द्वारा दायर साक्ष्य के हलफनामे के किसी भी भाग को काट देना जिसमें अप्रासंगिक, अग्राह्य या तर्कपूर्ण सामग्री हो;

(ण) साक्ष्य को रिकार्ड करने का कार्य न्यायालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त प्राधिकारी को सौंपना;

(त) किसी आयोग या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा साक्ष्य रिकार्ड करने की निगरानी से संबंधित कोई आदेश पारित करना;

(क्यू) किसी भी पक्ष को लागत बजट दाखिल करने और उसका आदान-प्रदान करने का आदेश देना;

(द) मामले के प्रबंधन के लिए तथा मुकदमे के कुशल निपटान को सुनिश्चित करने के सर्वोपरि उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश जारी करना या कोई आदेश पारित करना।

(2) जब न्यायालय इस आदेश के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई आदेश पारित करता है, तो वह-

(क) इसे कुछ शर्तों के अधीन किया जा सकेगा, जिसमें न्यायालय में एक धनराशि जमा करने की शर्त भी शामिल होगी; तथा

(ख) आदेश या शर्त का अनुपालन न करने के परिणाम को निर्दिष्ट करना।

(3) मामला प्रबंधन सुनवाई की तारीख तय करते समय, न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि पक्षकार ऐसी मामला प्रबंधन सुनवाई के लिए भी उपस्थित रहें, यदि उसका यह विचार है कि पक्षकारों के बीच समझौते की संभावना है।

7.  **मामला प्रबंधन सुनवाई का**  स्थगन.-

(1) न्यायालय केवल इस कारण से मामला प्रबंधन सुनवाई स्थगित नहीं करेगा कि पक्षकार की ओर से उपस्थित होने वाला अधिवक्ता उपस्थित नहीं है: बशर्ते कि सुनवाई का स्थगन आवेदन प्रस्तुत करके पहले ही मांगा गया हो, न्यायालय ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने वाले पक्षकार द्वारा, जैसा न्यायालय उचित समझे, ऐसे खर्चे का भुगतान करने पर सुनवाई को किसी अन्य तारीख तक स्थगित कर सकता है।

(2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि न्यायालय को यह विश्वास हो कि अधिवक्ता की अनुपस्थिति का कोई उचित कारण है, तो वह सुनवाई को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, किसी अन्य तिथि तक के लिए स्थगित कर सकेगा।

8.  **आदेशों का पालन न करने के परिणाम.-**  जहां कोई पक्ष मामला प्रबंधन सुनवाई में पारित न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो न्यायालय को यह शक्ति होगी-

(क) न्यायालय को लागत का भुगतान करके ऐसे गैर-अनुपालन को माफ करना;

(ख) गैर-अनुपालन पक्ष के हलफनामे दाखिल करने, गवाहों से जिरह करने, लिखित दलीलें दाखिल करने, मौखिक दलीलें देने या मुकदमे में आगे दलीलें पेश करने के अधिकार को समाप्त कर देना, जैसा भी मामला हो, या

(ग) शिकायत को खारिज कर देना या मुकदमा स्वीकार कर लेना, जहां ऐसा गैर-अनुपालन जानबूझकर किया गया हो, बार-बार किया गया हो और लागत लगाना अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त न हो।”

**8. आदेश XVIII का संशोधन.-**  संहिता के आदेश XVIII में, नियम 2 में, उप-नियम (3ए), (3बी), (3सी), (3डी), (3ई) और (3एफ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3ए) कोई भी पक्ष मौखिक बहस शुरू होने से चार सप्ताह पहले न्यायालय को अपने मामले के समर्थन में संक्षिप्त और अलग-अलग शीर्षकों के अंतर्गत लिखित दलीलें प्रस्तुत करेगा और ऐसी लिखित दलीलें रिकॉर्ड का हिस्सा होंगी।

(3बी) लिखित तर्कों में तर्कों के समर्थन में उद्धृत किए जा रहे कानूनों के प्रावधानों और पक्ष द्वारा भरोसा किए जा रहे निर्णयों के उद्धरणों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा और पक्ष द्वारा भरोसा किए जा रहे ऐसे निर्णयों की प्रतियां शामिल होंगी।

(3सी) ऐसे लिखित तर्कों की एक प्रति विपक्षी पक्ष को भी साथ-साथ उपलब्ध कराई जाएगी।

(3डी) न्यायालय, यदि वह उचित समझे, बहस समाप्त होने के पश्चात्, पक्षकारों को बहस समाप्त होने की तारीख से एक सप्ताह से अधिक की अवधि के भीतर संशोधित लिखित बहस दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।

(3ई) लिखित दलीलें दाखिल करने के प्रयोजन के लिए तब तक कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा जब तक कि न्यायालय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसा स्थगन देना आवश्यक न समझे।

(3एफ) न्यायालय को मामले की प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए मौखिक प्रस्तुतियों के लिए समय सीमित करने की स्वतंत्रता होगी।”

**9. आदेश XVIII का संशोधन.-**  संहिता के आदेश XVIII में, नियम 4 में, उपनियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(1ए) उन सभी गवाहों के साक्ष्य के हलफनामे, जिनका साक्ष्य किसी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है, उस पक्ष द्वारा प्रथम मामला प्रबंधन सुनवाई में निर्देशित समय पर एक साथ दाखिल किए जाएंगे।

(1बी) कोई भी पक्षकार किसी गवाह (जिसमें पहले से हलफनामा दाखिल करने वाले गवाह का हलफनामा भी शामिल है) के हलफनामे के जरिए तब तक अतिरिक्त साक्ष्य पेश नहीं करेगा, जब तक कि उस प्रयोजन के लिए आवेदन में पर्याप्त कारण नहीं दिया जाता है और न्यायालय द्वारा ऐसे अतिरिक्त हलफनामे की अनुमति देते हुए कारण बताते हुए आदेश पारित नहीं किया जाता है।

(1सी) तथापि, किसी पक्ष को उस गवाह की जिरह शुरू होने से पहले किसी भी समय इस प्रकार दायर किए गए किसी भी हलफनामे को वापस लेने का अधिकार होगा, ऐसी वापसी के आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले बिना:

बशर्ते कि कोई अन्य पक्ष ऐसे वापस लिए गए हलफनामे में की गई किसी भी स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने और उस पर भरोसा करने का हकदार होगा।”

**10. आदेश XIX का संशोधन.-**  संहिता के आदेश XIX में नियम 3 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“4.  **न्यायालय साक्ष्य को नियंत्रित कर सकता है।**  – (1) न्यायालय, निर्देशों द्वारा, उन मुद्दों के संबंध में साक्ष्य को विनियमित कर सकता है जिन पर उसे साक्ष्य की आवश्यकता है और वह तरीका जिससे ऐसे साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष रखा जा सकता है।

(2) न्यायालय अपने विवेकानुसार तथा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसे साक्ष्य को बहिष्कृत कर सकता है जो अन्यथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाते।”

5.  **साक्ष्य को संपादित या अस्वीकार करना.-**  न्यायालय अपने विवेकानुसार, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके-

(i) मुख्य परीक्षा के शपथपत्र के ऐसे भागों को संपादित कर सकेगा या संपादित करने का आदेश दे सकेगा जो उसके विचार में साक्ष्य नहीं बनते; या

(ii) मुख्य परीक्षा के हलफनामे को स्वीकार्य साक्ष्य न मानते हुए वापस कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है।

6.  **साक्ष्य के हलफनामे का प्रारूप और दिशानिर्देश।**  - हलफनामे को नीचे दिए गए प्रारूप और आवश्यकताओं का पालन करना होगा: -

(क) ऐसा हलफनामा उन तारीखों और घटनाओं तक सीमित होना चाहिए तथा उसमें उन तारीखों और घटनाओं का कालानुक्रमिक अनुक्रम होना चाहिए जो किसी तथ्य या किसी अन्य मामले को साबित करने के लिए प्रासंगिक हैं;

(ख) जहां न्यायालय का यह विचार है कि शपथ-पत्र अभिवचनों की पुनरुत्पादन मात्र है या उसमें किसी पक्षकार के मामले के विधिक आधार अन्तर्विष्ट हैं, वहां न्यायालय आदेश द्वारा शपथ-पत्र या उसके ऐसे भागों को काट सकेगा, जिन्हें वह ठीक और उचित समझे;

(ग) शपथपत्र का प्रत्येक पैराग्राफ, जहां तक ​​संभव हो, विषय के एक अलग हिस्से तक ही सीमित होना चाहिए;

(घ) हलफनामे में यह कहा जाएगा-

(i) इसमें दिए गए कथनों में से कौन से कथन अभिसाक्षी के स्वयं के ज्ञान से किए गए हैं और कौन से कथन सूचना या विश्वास के विषय हैं; और

(ii) किसी भी सूचना या विश्वास के स्रोत;

(ई) हलफनामा-

(i) पृष्ठों को एक अलग दस्तावेज़ के रूप में क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए (या किसी फ़ाइल में निहित कई दस्तावेज़ों में से एक के रूप में);

(ii) क्रमांकित पैराग्राफों में विभाजित किया जाएगा;

(iii) सभी संख्याएं, जिनमें तारीखें भी शामिल हैं, अंकों में व्यक्त की जाएंगी; और

(iv) यदि शपथपत्र के मुख्य भाग में उल्लिखित कोई दस्तावेज शपथपत्र या किसी अन्य दलील के साथ संलग्न है, तो ऐसे दस्तावेजों के अनुलग्नक और पृष्ठ संख्या दें जिन पर भरोसा किया गया है।"

**11. आदेश XX का संशोधन.-**  संहिता के आदेश XX में, नियम 1 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) वाणिज्यिक न्यायालय, *वाणिज्यिक अपील न्यायालय\** , वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपील प्रभाग, जैसा भी मामला हो, बहस के समापन के नब्बे दिनों के भीतर निर्णय सुनाएगा और उसकी प्रतियां विवाद के सभी पक्षों को इलेक्ट्रॉनिक मेल या अन्यथा के माध्यम से जारी की जाएंगी।”

“12. परिशिष्ट एच के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट  
अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**परिशिष्ट-मैं**

**सत्य का कथन**

**अध्यादेश के लागू होने के दिन या उसके बाद दायर मामलों पर इसका लागू होना**

(प्रथम अनुसूची, आदेश VI- नियम 15, ए और आदेश XI- नियम 3 के तहत)  
मैं- अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और निम्नलिखित घोषणा करता हूं:

1. मैं उपरोक्त मुकदमे में पक्षकार हूं और यह शपथपत्र देने के लिए सक्षम हूं।

2. मैं मामले के तथ्यों से पर्याप्त रूप से परिचित हूं तथा मैंने इससे संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और रिकार्डों की भी जांच कर ली है।

3. मैं कहता हूं कि —पैराग्राफ में दिए गए कथन मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं और —पैराग्राफ में दिए गए कथन प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं, जिसे मैं सही मानता हूं और  
—पैराग्राफ में दिए गए कथन कानूनी सलाह पर आधारित हैं।

4. मैं कहता हूं कि कोई झूठा बयान नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य, दस्तावेज या रिकॉर्ड को छिपाया नहीं गया है और मैंने ऐसी जानकारी शामिल की है जो मेरे अनुसार वर्तमान मुकदमे के लिए प्रासंगिक है।

5. मैं कहता हूं कि मेरे द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित सभी दस्तावेज जो मेरी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या हिरासत में हैं, प्रकट कर दिए गए हैं और  
उनकी प्रतियां वादपत्र के साथ संलग्न हैं, और मेरे पास कोई अन्य दस्तावेज नहीं है जो मेरी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या हिरासत में है।

6. मैं कहता हूं कि उपर्युक्त दलील कुल - पृष्ठों की है, जिनमें से प्रत्येक पर मेरे द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं।

7. मैं यह बताता हूँ कि संलग्न अनुलग्नक मेरे द्वारा संदर्भित तथा मेरे द्वारा निर्भर किये गये दस्तावेजों की सत्य प्रतियां हैं।

8. मैं यह घोषणा करता हूँ कि मुझे ज्ञात है कि किसी भी झूठे बयान या जानकारी को छिपाने के लिए मैं उस समय लागू कानून के तहत अपने विरुद्ध कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

स्थान:  
दिनांक:

साक्षी

सत्यापन

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए कथन मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य हैं।  
इस [तारीख] को [स्थान] पर सत्यापित

साक्षी।”

19. जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अध्यादेश के उपबंध केवल इस अध्यादेश के प्रारंभ होने की तारीख को या उसके पश्चात् दायर वाणिज्यिक विवादों से संबंधित मामलों पर ही लागू होंगे।'1  
. अध्यादेश का इसके प्रारंभ होने की तारीख को या उसके पश्चात् दायर मामलों पर लागू होना।

राम नाथ कोविंद,  
राष्ट्रपति